

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

पत्र संख्या:-सीएफओ/एफएस/फायर आडिट/2020/३३

सेवा में,

प्रधानाचार्य/आवेदक,  
खेल गॉव पब्लिक स्कूल,  
, प्रयागराज।

विषय— खेल गॉव पब्लिक स्कूल प्रयागराज में लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं / उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रधानाचार्य/आवेदक खेल गॉव पब्लिक स्कूल प्रयागराज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं / उपकरणों के प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का परीक्षण तथा निरीक्षण कराया गया, निरीक्षण आख्या का विवरण निम्नवत है।

1— स्थल तक अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ—जा सकते हैं।

2— भवन के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस० मानक 2190 के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।

3— भवन के प्रत्येक तल पर एन०बी०सी० 2016 मानक के अनुसार होजरील, लैण्डिंग वाल्व तथा 10.000 ली० क्षमता का टेरिस टैंक व 450 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित किया गया है।।।

4— स्कूल भवन में फायर स्टेशन का सीयूजी मो० नं० 9454418557.9454418558 अंकित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध/प्रस्तावित अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण—पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1— प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सेंडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना अपेक्षित है।

2— किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

3— भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना अपेक्षित है।

4—प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉकड्रिल/फायरड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाना अपेक्षित है।

5— वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण—पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

6— भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

7— अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

\_\_\_\_\_  
(आर०एस०मिश्र)  
(राजीनामा शक्ति देश)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
प्रयागराज।